


बिहार सरकार  
योजना एवं विकास विभाग

# वाहन निलामी सूचना


योजना एवं विकास विभाग की वाहन संख्या BR-1H/4278 एम्बेसडर कार की निलामी दिनांक 26/02/2015 को 3.30 अपराह्न में होगी। निलामी की शर्तों की जानकारी विभाग के वेबसाइट पर/प्रशाखा पदाधिकारी-1 से प्राप्त की जा सकती है। शर्तों को संबंधित वाहन पर भी चिपका दिया गया है। परिसर में वाहन को कार्यालय अवधि में देखा जा सकता है।

  
12.02.15  
(विजय कुमार)  
सहायक निदेशक (लेखा)

बिहार सरकार  
योजना एवं विकास विभाग

वाहन के निलामी की शर्तें

- क. वाहन की निलामी में डाक बोलने के पूर्व प्रतिभूति के रूप में 10,000/—(दस हजार) रू० नगद जमा करना होगा।
- ख. सबसे अधिक डाक बोलने वाले व्यक्ति को डाक की राशि का 50 प्रतिशत दो घंटे के अंदर जमा करना होगा। शेष राशि दो दिनों के अंदर जमा करनी होगी। डाक की रकम पर वाणिज्यकर (VAT) भी अलग से देय होगा।
- ग. उच्चतम दो डाक वक्ताओं को छोड़कर शेष को उनकी प्रतिभूति की राशि तत्काल वापस कर दी जायेगी। उच्चतम डाक वक्ता द्वारा डाक की पूरी राशि जमा कर देने के बाद द्वितीय उच्चतम डाक वक्ता को प्रतिभूति की राशि लौटायी जायेगी।
- घ. डाक बोलने के क्रम में एक बार में अधिकतम 5000/—(पाँच हजार) रू० की बोली लगानी होगी।
- ङ. निलामी पर सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन के पश्चात् ही विक्रय आदेश निर्गत किया जायेगा और तभी परिसर से वाहन हटाया जायेगा।
- च. निर्धारित अवधि में डाक की राशि जमा नहीं करने पर प्रतिभूति की राशि जप्त कर ली जायेगी।
- छ. सरकार को बिना कारण बताये डाक को अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- ज. विशेष जानकारी योजना एवं विकास विभाग (मुख्यालय, पुराना सचिवालय), पटना के प्रशाखा पदाधिकारी-I से प्राप्त की जा सकती है।

  
12.02.15  
(विजय कुमार)  
सहायक निदेशक (लेखा)